ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

1 श्री मदन जसवाल 1-4-2013 से 22-1-2016

2 श्री मेला राम 23-1-2016 से लगातार

सचिव:-

1 श्री ममता कुमारी 1-4-2013 से 31-3-2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी के लेखाओं अवधि 01.04. 2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	9	अनुदान का उपयोग न करना	7.61
2	10	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.33
3	11	IWMP अनुदान में निर्माण कार्य कूहल में दुर्विनियोजन	0.51
4	12	सभा निधि से अनियमित व्यय	0.54
5	14	हरियाली अनुदान से क्रय की गयी	0.80

		VERMICULTURE के वितरण बारे	
6	पैरा-15	कार्य स्थल पर एकत्रित की गयी मदों को निर्माण कार्य में प्रयोग न करना	2.85
7	पैरा-17	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	6.71
8	पैरा-18	मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	3.57

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी , विकास खण्ड गगरेट , जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17/2/2017 से 21/2/2017 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2013-14	5/2013	3/2014
2014-15	7/2014	8/2014
2015-16	11/2015	12/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी , विकास खण्ड गगरेट , जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40/2017 दिनांक 21-2-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) **स्वः स्त्रोत:-**ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	178158.00	118886.00	297044.00	50412.00	246632.00
2014-15	246632.00	132334.00	378966.00	213953.00	165013.00
2015-16	165013.00	91541.00	256554.00	253382.00	3172.00

(2) **अनुदान:-** ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	630245.00	3167184.00	3797429.00	3046026.40	751402.60
2014-15	751402.60	3855559.00	4606961.60	3753158.80	853802.80
2015-16	853802.80	2626825.00	3480627.00	2644508.80	761119.00

5 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी द्वारा हिमाचल परदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया था जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹281705 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे।

1	रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष	₹3172
2	रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	₹761119
	योग	**₹764291**

<u>अन्तशेष का विवरण:-</u> दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के.सी.सी.बी. गगरेट	K.C.C.BANK.GAGRET 500533370364	476220
2	पी. एन. बी. गगरेट	P.N.BANK.2914000111126169	NIL
3	पी. एन. बी. गगरेट	P.N.BANK.2914000111109126	NIL
4	पी. एन. बी. गगरेट	P.N.BANK.2914000111162259	6358
5	पी. एन. बी. गगरेट	P.N.BANK.2914000111126150	NIL
		TOTAL	482578
	CASH IN HAND	GENERAL CASH BOOK	8

MNREGA

IAY/AAY

Hariyali

TOTAL **482586**

अंतर ₹764291-₹482586 = ₹281705

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वाराअंकेक्षण अवधिके लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.44 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव जाडला कोइड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि ₹44200 वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	5000	29100	34100	24050	10050
2014-15	10050	29100	39150	24050	15100
2015-16	15100	29100	44200	0	44200

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज[वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया । अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व उपरोक्त गृहकर की वसूली न करने के कारणो को स्पष्ट करते हुये राशि की वसूली अविलंब की जाये।

8 रोकड़ वही का रख रखाव उचित प्रकार से न करना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ वहि यों की जाँच तथा गणना करने पर पाया गया कि रोकड़ वहियों में बहुत ज्यादा कटिंग , OVERWRITING की गयी है तथा प्रधान द्वारा इन्हें

सत्यापित भी नहीं किया गया था। अत: इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

9 अनुदान ₹7.61 लाख का उपयोग न करना;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹761119 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 <u>प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.33 लाख का अधिक व्यय</u>

सचिव ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार VKVNY में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹33284 ऋणात्मक दर्शाई गयी है जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन VKVNY में अथवा किसी अन्य योजना से VKVNY का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

11 IWMP अनुदान में निर्माण कार्य कूहल में ₹0.51 लाख का दुर्विनियोजन / गबन :--

बा. संख्या.	मास	राशि
2 8/2014 63000		
3	8/2014	3150
-	8/2014	21263
-	8/2014	6101
-	<u>कुल योग</u>	<u>93514</u>

निर्माण कार्य कूहल खेल मैदान से लेकर रकबा कर्मवीर की अग्रिम (Final) मूल्यांकन कनिष्ठ अभियंता द्वारा मापन पुस्तिका संख्या 6454 पृष्ट संख्या 2 से 5 पर दर्ज की गई है ! मापन पुस्तिका में दर्ज की गई प्रविष्टि मद संख्या (4) Lay out of RCC Pipe की मात्रा 85 Nos (pipe) दर्ज की गई है ! परन्तु Form 34 तथा मापन पुस्तिका पृष्ठ 5 में दर्ज मदों की मात्रा की जाँच करने पर पाया गया कि इस कार्य के लिए 166 पाईपों का क्रय किया गया है तथा कार्य हेतु जारी की गयी जबकि स्थल पर 85 पाईपों को लगाने की प्रविष्टि दर्ज है । इस प्रकार 81 पाईपों (166-85) का व्यय इस कार्य हेतु ₹630/- प्रति पाइप की दर से ₹51030 (630 X 81) अधिक दर्शाया / किया गया है जिसकी वसूली

सुनिश्चत की जाये।

12 सभा निधि से ₹0.54 लाख का अनियमित व्यय

प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 5-7-2015 के द्वारा निर्माण भूमि बचाव हेतु डंगा जगदीश राम, कर्म चंद आदि कार्य पूर्ण बारे पंचायत द्वारा सभा निधि से ₹53863 व्यय किए गये जिसका व्यय विवरण फार्म 34 के अनुसार जो कि प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 21-12-2015 के द्वारा अनुमोदित किया गया है निम्नानुसार था:-

(1)	निर्माण सामग्री पर व्यय	₹39358
(2)	मजदूरी पर व्यय	₹14505
		₹53863

उपरोक्त व्यय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (a) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 के SCHEDULE 1 के अनुसार सभा निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय को सक्षम अधिकारी से अनुदान प्राप्त कर नियमित करवाया जाये अन्यथा इस राशि की वसूली सुनश्चित की जाये।

13 निविदाओं के बिना क्रय करना

ग्राम पंचायत जाडला कोइड़ी द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय की गयी निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, पत्थर, बजरा इत्यादि का क्रय बिना निविदाओं के किया गया है जिसके अभाव में दरों के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: बिना निविदाओं के क्रय करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए।

14 हरियाली अनुदान से क्रय की गयी ₹0.80 लाख की VERMICULTURE के वितरण बारे :--

ग्राम पंचायत ने वाउचर संख्या 1 मास 6/2013 के द्वारा M/S नमन आर्गेनिक पंडोगा से बिल संख्या 44 दिनांक 15-5-2013 के द्वारा 400 किलोग्राम vermiculture का ₹200 प्रति किलोग्राम की दर से ₹80000 में क्रय किया तथा लाभार्थियों को बांटी गयी परन्तु जिन लाभार्थियों को यह मद बांटी गयी उनकी सूचि तथा उन से प्राप्त BENEFICIARY SHARE की राशि का विवरण अभिलेख में उपलब्ध न होने के किये गये क्रय का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए ।

15 कार्य स्थल पर एकत्रित की गयी ₹2.85 लाख की मदों को निर्माण कार्य में प्रयोग न करना

ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए गए निर्माण कार्य की मापन पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (2)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार कार्य स्थल पर रूपये की मद "COLLECTION OF MATERIAL " दर्शाई गईं है , MATERIAL का विवरण नहीं दिया गया है तथा इस मद के लिए ₹300, ₹320 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया जो कि HPSR 2009 के अनुसार क्रमशः AGGREGATE तथा SAND की दरें हैं। परन्तु अनुदान तथा मनरेगा निर्माण कार्य के WORK REGISTER की जाँच करने पर पाया गया कि AGGREGATE तथा SAND की जो वास्तविक मात्रा प्रयोग होनी थी उसे क्रय किया गया है तथा जो मदें लेबर द्वारा स्थल पर एकत्रित की गई उन्हें प्रयोग में नहीं लाया गया

जबकि एकत्रित की गयी मदों के प्रयोग होने के पश्चात ही बाकी मात्रा को क्रय किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा ₹284536 का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। जिसकी विकास खण्ड स्तर पर उचित जांच कर वसूली सुनिश्चित की जाये।

16 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्वि नियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

17 पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी ₹6.71 लाख की मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना;-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (3)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹670598 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है। अतः बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों व उपयोग लेखा तैयार कर आगामी लेखा परीक्षण को जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

18 मूल्यांकन के बिना भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17/2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यांकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (4)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹357403 का भुगतान मूल्यांकन के बिना किया गया ।

अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

19 <u>मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना</u>

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच -एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पथर, सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के संदर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार "परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण **परिशिष्ट (3)** पर दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है । अत: इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

20 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-

पंचायत जाडला कोइड़ी द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रो ल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का	31	95(1)

रजिस्टर

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 लघु आपति विवरणिका: - इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

24 निष्कर्ष:- लेखाओं में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(V) 25/2017–खण्ड–1 –2906–2909 दिनॉकः29.05.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत जाड़ला कोइड़ी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881